केवल आप के लिये

गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम

सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com

मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती

www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क

मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 255 शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

रामलला दर्शन के साथ भाजपा की नई टीम ने लिया संगठन सशक्त करने का संकल्प

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी, बस्ती के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र के नेतृत्व में पावन धरा अयोध्या धाम पहुँचकर प्रभु श्रीराम लला एवं हनुमानगढ़ी का भव्य एवं दिव्य दर्शन किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने राम दरबार में मत्था टेककर संगठन की मजबूती एवं जनसेवा के कार्यों को गति देने का संकल्प लिया।

आयोजित इस आध्यात्मिक यात्रा के उपरांत जिलाध्यक्ष द्वारा सभी पदाधिकारियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। इसी क्रम में जिला कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक भी संपन्न हुई। यह बैठक नवगठित टीम की पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें आगामी कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए जन–जन तक पार्टी की नीतियों एवं योजनाओं को पहुँचाना ही हम सभी का लक्ष्य है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए संगठन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया।

इस आध्यात्मिक यात्रा ने सभी पदाधिकारियों के भीतर नई ऊर्जा, उत्साह एवं समर्पण का भाव जागृत किया। सभी ने एकजुट होकर संगठन हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष में प्रत्युष विक्रम सिंह, भानु प्रकाश मिश्र, वीरेन्द्र गौतम, अखण्ड प्रताप सिंह, दिलीप पाण्डेय, ब्रह्मदेव यादव, शालिनी मिश्रा एवं शिवानी सिंह, जिला महामन्त्रीअमृत कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार गौतम एवं प्रेम प्रकाश चौधरी, जिला मंत्री में राकेश शर्मा, सुनील सिंह, राकेश शर्मा, राजेन्द्र राजभर, सुरेन्द्र कुमार चौधरी, सुधाकर पाण्डेय, विनय सिंह भारद्वाज एवं प्रदीप निषाद, कोषाध्यक्ष राधेश्याम कमलापुरी, मीडिया प्रभारी अजय पाल सिंह, नीरज त्रिपाठी (सह मीडिया प्रभारी) एवं रवि कुमार तिवारी (आईटी सेल) उपस्थित रहे।

इस प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय आयोजन के सफल संचालन हेतु जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र एवं अयोध्या प्रशासन के प्रति सभी पदाधिकारियों ने हृदय से आभार व्यक्त किया।

दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मुण्डेरवा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित चार आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह के निर्देश पर की गई। मुण्डेरवा थाना प्रभारी अमरनाथ यादव ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन अभियुक्तों को इचड़वा पुल कुरिया के पास से पकड़ा।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुग्रीव पुत्र इन्द्रजीत (निवासी सेन्दुरिया, थाना मुण्डेरवा), सचिन पुत्र रामतेज (निवासी अमरडोभा, थाना मुण्डेरवा), पवन पुत्र राधेश्याम (निवासी अमरडोभा, थाना मुण्डेरवा) और शिव पूजन पुत्र सुखाराम (निवासी कैथवलिया, थाना लालगंज बस्ती) के रूप में हुई है।इन अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140(4), 70(1), 115(2), 352, 351(3) और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)अं, 3(2)अ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक जावेद खान, हेड कांस्टेबल देवानंद, कृष्णानंद यादव, कांस्टेबल भगवान दयाल, अमित यादव और जितेंद्र शाह शामिल थे।

असम, केरल, पुडुचेरी में भारी मतदान

नई दिल्ली (आभा)। गुरुवार असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में जोरदार रुझान देखा गया। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों से तीनों राज्यों में मजबूत मतदाता भागीदारी का संकेत मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुडुचेरी में सबसे अधिक 86.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद असम में 84.42 प्रतिशत और केरल में 75.01 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है।

असम में सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक अनुमानित 84.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के विधानसभा चुनावों के 82.04 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रही है।

असम के दलगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 94.57 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि अमरी क्षेत्र में सबसे कम 70.40 प्रतिशत मतदान रहा। इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 35 जिलों में फैले 31,490 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला।

केरल में सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ। हालांकि, कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। निर्धारित समय के बाद भी कतार में खड़े मतदाताओं को टोकन जारी कर उन्हें वोट डालने की अनुमति दी गई। लोगों में उत्साह देखा गया।

पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार से मांग किया है कि पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में होने वाले अनेक सरकारी सर्वे तथा चुनावी प्रक्रिया में लगने वाली समय सीमा के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव समय पर कराया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

जन चर्चा के अनुसार पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी कर्मियों को प्रशासक बना कर विकास कार्यों को संपादित कराए जाने की योजना पर विचार चल रहा है। श्री राना ने लिखा है कि मै बस्ती जिला पंचायत का सदस्य , बहादुरपुर विकास खण्ड का ब्लॉक प्रमुख एवं दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित रहा हूं ऐसे में मेरा अनुभव है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासकों की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाता है। उन्होंने अवगत कराया है कि देश के अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने का नियम लागूं किया जा चुका है जिसके सार्थक परिणाम रहे हैं। श्री राना ने कहा है कि गांव की सरकार को जन प्रतिनिधि के स्थान पर अगर नौकरशाही चलाएगी तो जहां एक तरफ लोकतंत्र का अपमान होगा वहीं आम जनता को अपनी समस्याएं सुलझाने में दिक्कतें आएंगी।

लालगंज के 5 दिवसीय मेले में लगा खोया पाया शिविर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज स्थित कुंआनों, मनवर संगम तट पर लगने वाले विशाल मेले में समाचार पत्र वितरक जन कल्याण सेवा समिति द्वारा अध्यक्ष जय प्रकाश गोस्वामी के संयोजन में खोया पाया शिविर का आयोजन किया गया। पांच दिनों तक चले शिविर में 50 बच्चो सहित 200 से अधिक बिछडों को उनके परिजनों से मिलाया गया।

शिविर का समापन करते हुये डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि कुंआनों के संगम लालगंज का मेला ऐतिहासिक है। यहां मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम ने विश्राम किया था। जनपद के विभिन्न मेलों में समाजसेवी जय प्रकाश गोस्वामी द्वारा पिछले 34 वर्षो से खोया पाया शिविर का लगाया जाना सेवा का बडा उदाहरण है। कहा कि मेले में बिछड़ों को अपनों से मिलाना पुनीत कार्य है।

समाजसेवी अजय पाल ने कहा कि मेले में खोया पाया शिविर का संचालन बड़ी समाजसेवा है। पांच दिनों तक चलने वाला शिविर निश्चित रूप से बेहद उपयोगी रहता है। खोया पाया शिरि की भूमिका महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रमुख गोस्वामी कुमकुम भारती ने कहा कि जब से यहां शिविर शुरू

–50 बच्चों सहित 200 लोगों को अपनों से मिलाया

हुआ है मेले में आने वाले लोगों को विशेष सुविधा हुई है।

अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुये आयोजक जय प्रकाश गोस्वामी ने कहा कि समिति की ओर से प्रति वर्ष मेले में शिविर लगाकर खोये बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया जाता है।

खोया पाया शिविर के समापन अवसर पर मुख्य रूप से ब्लाक प्रमुख अनिल दूबे, अरविन्द पाल, रघुनाथ सिंह, सिद्धार्थ शंकर मिश्र, अमित सिंह, राजन पाल, रामकेश चौधरी, सन्तोष पाल, रामअधार पाल, सत्येन्द्र बहादुर उर्फ पिकूं पाल, डा. राम प्रताप शुक्ल, सूर्यप्रकाश शुक्ल, विपिन श्रीवास्तव, रामायण सिंह, रविशंकर शुक्ल, , रविचन्द पाण्डेय, विनोद पाण्डेय, भानु प्रकाश मिश्र, महन्थ सन्तराम दास, मनमोहन त्रिपाठी, सच्चिदानन्द यादव, अनिल कुमार मौर्य, रामकेश चौधरी, के.डी. गोस्वामी, मुरलीधर शुक्ल, राजेश यादव, शरद शर्मा, प्रवेश चौधरी, बब्लू दूबे, कामेश्वर चौधरी, अमित शुक्ल, जितेन्द्र यादव, अमृत वर्मा, बब्लू गुप्ता, विवेक मिश्र के साथ ही अनेक लोगों ने योगदान दिया।

बंधेज कला को संरक्षित करना समय की मांग – संजय शुक्ल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को बंधेज कला प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का भव्य आयोजन डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन में किया गया। जिसमें डायट प्रशिक्षुओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में रंग–बिरंगी साड़ियां, दुपट्टे, चादर आदि आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर डायट प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के साथ–साथ युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि बंधेज कला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बंधनी तकनीक के माध्यम से सुंदर एवं आकर्षक डिजाइन प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने रचनात्मकता, रंग संयोजन एवं पारंपरिक शैली के आधार पर विजेताओं का चयन किया। जिसमें सौम्या गुप्ता, नीलम, नित्या दूबे और नेहा यादव को प्रथम पुरस्कार स्मृति सिंह पटेल, रबी चन्द्रा और प्रेमलता को द्वितीय पुरस्कार संजू यादव, रूबी चौहान, माधुरी अग्रहरी, मानसी शुक्ला और निशा चौधरी को तृतीय पुरस्कार महिमा पाण्डेय, शालिनी मद्धेशिया और नंदिनी यादव को सांत्वना पुरस्कार खुशी, निशा द्विवेदी और काजल सिंह को प्रतिभागिता बोर्ड डेकोरेशन पुरस्कार दिया गया। नोडल प्रवक्ता वर्षा पटेल एवं सह नोडल डॉ गोविन्द ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रशिक्षुओं में हुनर विकसित करना है ।

इस अवसर पर सरिता चौधरी, अलीउद्दीन खान, वंदना चौधरी, कल्याण पाण्डेय, डॉ ऋचा शुक्ला, मो. इमरान खान कनिष्क सहायक नवनीत कुमार, अनिल चौधरी प्रशिक्षुओं में ज्ञानेंद्र, अरुण, अमरेन्द्र आदि ने विशेष सहयोग किया।

जहां भी जरूरी होगा, हमले करते रहेंगे-नेतन्याहू

नई दिल्ली (आभा)। ईरान–अमेरिका के बीच दो हफ्ते के लिए हुए युद्धविराम के बाद भी इजरायल का लेबनान में हवाई हमला जारी है। ईरान का दावा है कि 10 सूत्रीय योजना में एक प्वाइंट लेबनान में हमले रोकना भी शामिल है, लेकिन अमेरिका व इजरायल इससे इनकार कर रहे हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजरायल, ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह पर जहां भी जरूरी होगा हमला करता रहेगा। यह बयान लेबनान पर इजरायल के घातक हमलों के ठीक एक दिन बाद आया है।

नेतन्याहू ने अपने निजी एक्स अकाउंट पर कहा, 'हम पूरी ताकत, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ हिज्बुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं।ष उन्होंने आगे कहा, ष्हमारा संदेश साफ है, जो कोई भी इजरायली नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। हम हिज्बुल्लाह पर जहां भी जरूरी होगा, हमला करते रहेंगे। जब तक कि हम इजरायल के उत्तरी इलाके के निवासियों के लिए सुरक्षा पूरी तरह से बहाल नहीं कर लेते।

शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाये सरकार–बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउन्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वान्चल विकास बोर्ड के निवर्तमान सदस्य बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल के नेतृत्व में फाउन्डेशन पदाधिकाणरियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाया जाय।

ज्ञापन देने के बाद बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर गरीब छात्रों को समान शिक्षा दिये जाने की विधिक व्यवस्था है किन्तु निजी स्कूल इसका पालन नहीं करते। कहा कि फाउन्डेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री से निरन्तर आग्रह कर रहा है कि शिक्षा के लिये समान अवसर उपलब्ध कराये जाय। मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर भी है किन्तु स्थानीय स्तर पर सम्बंधित अधिकारियों की उपेक्षा के कारण गरीब परिवारों के छात्र आर्थिक अभाव में पढाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कहा कि निजी स्कूलों में छात्रों का प्रतिवर्ष रिएडमीशन, स्कूल प्रबंधन द्वारा ड्रेस व मनचाहे प्रकाशन की किताबों के नाम पर लूट खसोट चल रही है और जिम्मेदार चुप है। इस समस्या का समाधान ढूढना ही होगा।

ज्ञापन देने वालों में फाउन्डेशन की महिला मंच प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह कुशवाहा, मण्डल अध्यक्ष कपिलदेव चौधरी, जिलाध्यक्ष जुग्गीलाल वर्मा, शिवशंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, महेश कुमार, राकेश चौधरी, रामफल गौतम, घनश्याम श्रीवास्तव, राजमति चौधरी, राहुल पटेल, अरूण चौधरी के साथ ही अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

जमीन पर जबरिया कब्जा करने की कोशिश, पीड़ितों ने अधिकारियों से लगाया जान, जमीन बचाने की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के लौकिहवा निवासी दयाशंकर चौधरी, शशांक चौधरी , सुनील कुमार चौधरी ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सम्बंधित उच्चाधिकारियों को पत्र देकर अपने जमीन की रक्षा और जमीन पर कब्जे की नीयत से जान से मारने की धमकी देने वाले मुरलीजोत निवासी अमित राय कन्नौजिया के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

भेजे पत्र में दयाशंकर चौधरी आदि ने कहा है कि उन लोगों की खेती लौकिहवां में है। गाटा सं0–100 रकबा 0.8230 एअर है, जिसमें उनका सीमेन्टेड पिलर लोहे के तार से घिरा हुआ है। पूर्व में ही जमीन नापकर अलग कर दिया गया था और सभी लोग सहमति से रह रहे थे। किन्तु इस बीच गाटा सं0–95/9 जो ग्रीस हरिजन को पट्टा मिला था लेकिन ग्रीस हरिजन का कोई कब्जा नहीं था, उसी 95/9 में सड़क व नाली का निर्माण हो गया किन्तु अमित राय कन्नौजिया पुत्र रामनरेन्द्र निवासी मुरलीजोत थाना कोतवाली जो भूमाफिया है। वह भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बेच लेना चाहता है। उनके पिलर तोड़कर लगे तार को नष्ट करके जबरदस्ती नींव खोदा जा रहा है। 112 नम्बर पुलिस को फोन करने के बावजूद नहीं रोका गया। अमित राय कन्नौजिया द्वारा उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही। उसका भाई पुलिस सब इस्पेक्टर है इसलिए पुलिस प्रशासन से भी साठ–गाठ कर ले रहा है।

दयाशंकर चौधरी, शशांक चौधरी , सुनील कुमार चौधरी ने समूचे मामले की जांच, अपने जमीन की रक्षा और जमीन पर कब्जे की नीयत से जान से मारने की धमकी देने वाले मुरलीजोत निवासी अमित राय कन्नौजिया के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है। कहा कि अनेक प्रार्थना पत्र देने के बावजूद प्रशासन चुप्पी साधे हुये हैं जिससे अमित राय कन्नौजिया का मन बढ गया है और वह कोई भी हरकत कर सकता है।

नगरपालिका के पांच मनोनीत सदस्यों को दिलायी शपथ :लाभार्थियों में प्रमाण–पत्र वितरित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । गुरूवार को नगर पालिका परिषद बस्ती के सभागार में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित 5 सभासदों को उप जिलाधिकारी सदर शत्रुघ्न पाठक ने शपथ दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा ने किया।

मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि नये 5 सदस्यों के शपथ ग्रहण से विकास कार्यो में और तेजी आयेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता सामग्री के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प दोहराया। कहा कि नये सभासदों के जुड़ने से कार्य में और सहजता आयेगी।

वरिष्ठ भाजपा नेता अंकुर वर्मा ने कहा कि 5 मनोनीत सभासद प्रमोद कुमार कन्नौजिया, अश्वनी श्रीवास्तव, अमरनाथ चौरसिया और मृदुला शुक्ला नगर पालिका क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देंगे।

अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से 5 नये सभासदों के आने से कार्य में और गति आयेगी।

इस अवसर पर वरिष्ठ सभासद जगदीप श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार पाण्डेय, परमेश्वर शुक्ल पप्पू, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिनेश गुप्ता, जीवन चौधरी, इन्द्रावती देवी, अमरावती देवी, रवि पासवान, महेन्द्र सोनकर, मो. आमिर, मु0 अयूब, शोभी सोनकर के साथ ही , कर निर्धारण अधिकारी उदय भान, जयराम, अर्पित निगम, अर्चना कुमारी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अवधेश चन्द्र यादव, लिपिक गणेश सिंह, सदर राजीव शंकर श्रीवास्तव, शुभम शेखर यादव, अजय तिवारी, अभिषेक सिंह, अमित कुमार शुक्ला के साथ ही अनेक जनप्रतिनिधि, पूर्व सभासद आदि उपस्थित रहे।

टेट के सवाल को लेकर शिक्षकों का मशाल जुलूस 13 को: तैयारियां तेज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आवाहन पर आगामी 13 अप्रैल को टेट के सवाल को लेकर मशाल जुलूस निकाला जायेगा। गुरूवार को प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के संयोजक उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में तैयारी बैठक प्रेस क्लब में सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुये श्री शुक्ल ने बताया कि टेट की अनिवार्यता समाप्त किये जाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री आदि को पाती भेजी गई। इसके बावजूद अभी तक कोई रचनात्मक पहल नहीं हुआ। 13 अप्रैल को जनपद स्तर पर मशाल जुलूस के बाद 3 मई को लखनऊ में आयोजित महारैली आयोजित किया गया है। उन्होने शिक्षकों का आवाहन किया कि अनिवार्य रूप से मशाल जुलूस में शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें।

–मशाल जुलूस में शामिल होंगे विभिन्न संगठनों से जुड़े शिक्षक– उदयशंकर शुक्ल

तैयारी बैठक में अटेवाके अध्यक्ष का तौआब अली, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय, माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अध्यक्ष अजय वर्मा ,टीएससीटी के अध्यक्ष प्रमोद ओझा प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मशाल जुलूस की सफलता के लिये शिक्षकों के बीच सम्पर्क अभियान चलाया रहा है। सर्व सम्मत से निर्णय लिया गया कि मशाल जुलूस कार्यक्रम प्रेस क्लब बस्ती से जिला अधिकारी कार्यालय तक निकलेगा। जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा जायेगा। सभी संगठन अपने–अपने सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक लेकर मशाल जलूस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार

सम्पादकीय

युद्ध विराम किसी संघर्ष का अंत नहीं

अमेरिका और ईरान के बीच घोषित हुआ नाजुक युद्धविराम किसी संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति के एक और जटिल एवं अनिश्चित चरण की शुरुआत है। जो घटनाक्रम सामने आया, वह किसी स्पष्ट सैन्य विजय का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक दबावों, रणनीतिक भूलों और बदलते वैश्विक समीकरणों का मिश्रण है। हालांकि युद्धविराम से ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ तात्कालिक राहत मिली हो, किंतु इसके गहरे निहितार्थ एक ऐसी स्थिति का संकेत करते हैं जहां भारी सैन्य दबाव के बावजूद ईरान अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में उभरता दिखा। इस संघर्ष की जड़ें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं में निहित हैं। इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा और उसने उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया। अमेरिका इस रणनीति के साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया, खासतौर से ट्रंप के दौर में और मजबूती से। इसके पीछे एक व्यापक लक्ष्य ईरान की इस्लामिक व्यवस्था को कमजोर करना या उसे बदलना भी था।

यह मान लिया गया था कि बाहरी सैन्य दबाव ईरान के भीतर असंतोष भड़का देगा और जनता सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होगी। इस धारणा के उलट हमलों ने ईरानी समाज में एक तरह की एकजुटता पैदा कर दी और लोग सरकार के पीछे लामबंद हो गए। युद्ध में अपेक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए विवश होना पड़ा। ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट नहीं हुई। उसकी राजनीतिक व्यवस्था बरकरार रही और उसकी सैन्य शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर नहीं किया जा सका। जैसे–जैसे संघर्ष लंबा खिंचता गया, वैसे–वैसे अमेरिका के लिए उसकी लागत बढ़ती गई, वह भी सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी। अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया।

ट्रंप प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह एक ऐसे युद्ध से बाहर निकले जो घरेलू स्तर पर लोकप्रिय नहीं था। ट्रंप के समर्थक वर्ग में भी इस युद्ध को लेकर असहजता दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा, ईरान के नागरिक ढांचे पर हमले की धमकियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों को लेकर बहस को जन्म दिया, जिससे अमेरिका की नैतिक स्थिति भी कमजोर हुई। मौजूदा माहौल में युद्धविराम किसी कूटनीतिक सफलता से ज्यादा एक रणनीतिक मजबूरी जैसा प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और चीन की भूमिका का सामने आना भी वैश्विक राजनीति के शक्ति संतुलन में बदलाव को दर्शाता है। पाकिस्तान का मध्यस्थ के रूप में उभरना ध्यान देने योग्य है। वहीं, चीन की भूमिका यह दिखाती है कि वह अब सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है।

होर्मुज जलमार्ग इस घटनाक्रम का एक अहम पहलू बनकर उभरा। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा संसाधनों की ढुलाई इसी मार्ग के जरिये होती है। युद्धविराम के बाद भी यदि ईरान इस मार्ग पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव होगा। भले ही यह नियंत्रण औपचारिक रूप से घोषित न हो, पर यदि जहाजों की आवाजाही ईरान की निगरानी या शर्तों के तहत होती है, तो इससे उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। संभव है ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाए। इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि, परिवहन लागत में इजाफा और बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।

भारत जैसे देश के लिए इसके गहरे निहितार्थ होंगे, जो अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल एवं गैस आयात करता है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति बेहद संतुलित रखनी होगी, क्योंकि उसके संबंध ईरान, इजरायल और अमेरिका, तीनों के साथ महत्वपूर्ण हैं। इस संघर्ष विराम के साथ ही भारत में इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से राजनीतिक है, पर आज के दौर में, जहां मध्यम शक्तियां भी क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, वहां भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करे। यह युद्धविराम हमें यह सिखाता है कि केवल सैन्य शक्ति के बल पर जटिल भू–राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

जहां अमेरिका और इजरायल जैसे शक्तिशाली देश पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपने सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सके, वहीं ईरान ने अपनी स्थिति को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे मजबूत भी किया। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह युद्धविराम स्थायी शांति की ओर बढ़ता है या फिर एक और बड़े संघर्ष की भूमिका तैयार करता है। फिलहाल भले ही शांति हो गई हो, पर तनाव अभी भी है। वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा के रूप में उभरा होर्मुज अब एक ऐसे क्षेत्र में बदल चुका है, जहां शक्ति संतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई देती है। देखना होगा कि यह अस्थायी शांति स्थायी समाधान का रास्ता बनती है या एक और टकराव का कारण।

कार्यालय ग्राम पंचायत भैखरी वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भौखरी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **भौखरी** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **भौखरी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **भौखरी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भौखरी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(दिलीप सिंह) — प्रधान — ग्राम पंचायत–**भौखरी**
(वीरेन्द्र यादव) — सचिव — ग्राम पंचायत–**भौखरी**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कुड़ही वि.खं. रूधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कुड़ही** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कुड़ही** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कुड़ही** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कुड़ही** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कुड़ही** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(राधिका चतुर्वेदी) — प्रधान — ग्राम पंचायत–**कुड़ही**
(तुफैल अहमद) — सचिव — ग्राम पंचायत–**कुड़ही**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुर मुड़री वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रामपुर मुड़री** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **रामपुर मुड़री** के निविदा बाक्स में दिनांक 24–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 23–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **रामपुर मुड़री** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **रामपुर मुड़री** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रामपुर मुड़री** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(किसमता देवी) — प्रधान — ग्राम पंचायत–रामपुर मुड़री
(किशन कुमार वर्मा) — सचिव — ग्राम पंचायत–रामपुर मुड़री

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत पैकोलिया पाली वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पैकोलिया पाली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पैकोलिया पाली** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पैकोलिया पाली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पैकोलिया पाली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पैकोलिया पाली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बबीता सिंह) — प्रधान — ग्राम पंचायत–पैकोलिया पाली
(अबरार अहमद) — सचिव — ग्राम पंचायत–पैकोलिया पाली

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत छपिया वि.खं. रूधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **छपिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **छपिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **छपिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **छपिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **छपिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पुनीता) — प्रधान — ग्राम पंचायत–**छपिया**
(तुफैल अहमद) — सचिव — ग्राम पंचायत–**छपिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बनरही जंगल वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बनरही जंगल** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बनरही जंगल** के निविदा बाक्स में दिनांक 24–04–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 23–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बनरही जंगल** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बनरही जंगल** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बनरही जंगल** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(गीता देवी) — प्रधान — ग्राम पंचायत–बनरही जंगल
(किशन कुमार वर्मा) — सचिव — ग्राम पंचायत–बनरही जंगल

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत नकथर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **नकथर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **नकथर** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **नकथर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **नकथर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **नकथर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(राम औतार) प्रधान ग्राम पंचायत–**नकथर**

(आनन्द पाल) सचिव ग्राम पंचायत–**नकथर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कौलपुर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कौलपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कौलपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कौलपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कौलपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कौलपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विमला देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**कौलपुर**

(निखलेश कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–**कौलपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत गदापुर चक वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गदापुर चक** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **गदापुर चक** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **गदापुर चक** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **गदापुर चक** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गदापुर चक** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पवन कुमार द्विवेदी) प्रधान ग्राम पंचायत–**गदापुर चक**

(शालिनी त्रिपाठी) सचिव ग्राम पंचायत–**गदापुर चक**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत मझारी बाजार वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मझारी बाजार** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मझारी बाजार** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मझारी बाजार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मझारी बाजार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मझारी बाजार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(मोमिना खातून) प्रधान ग्राम पंचायत–**मझारी बाजार**

(विजय कुमार चौधरी) सचिव ग्राम पंचायत–**मझारी बाजार**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत तुरकौलिया राय वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **तुरकौलिया राय** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **तुरकौलिया राय** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **तुरकौलिया राय** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **तुरकौलिया राय** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **तुरकौलिया राय** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(नन्द किशोर चौधरी) प्रधान ग्राम पंचायत–**तुरकौलिया राय**

(आनन्द पाल) सचिव ग्राम पंचायत–**तुरकौलिया राय**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत करायन वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **करायन** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **करायन** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **करायन** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **करायन** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **करायन** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सरोज देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**करायन**

(निखलेश कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–**करायन**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बांकेचोर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बांकेचोर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बांकेचोर** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बांकेचोर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बांकेचोर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बांकेचोर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(मणीन्द्र चौधरी) प्रधान ग्राम पंचायत–**बांकेचोर**

(शालिनी त्रिपाठी) सचिव ग्राम पंचायत–**बांकेचोर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दोखा वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चन्दोखा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **चन्दोखा** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **चन्दोखा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **चन्दोखा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **चन्दोखा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(निशा देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**चन्दोखा**

(आदर्श कुमार पाण्डेय) सचिव ग्राम पंचायत–**चन्दोखा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत तुषायल वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **तुषायल** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **तुषायल** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **तुषायल** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **तुषायल** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **तुषायल** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(जुलेखा)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**तुषायल**

(कौशलेन्द्र पाल)
सचिव
ग्राम पंचायत–**तुषायल**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत सकतपुर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सकतपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सकतपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सकतपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सकतपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सकतपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बाल चन्द्र चौधरी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**सकतपुर**

(शैलेन्द्र कुमार राव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**सकतपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत खाजेपुर वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **खाजेपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **खाजेपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **खाजेपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **खाजेपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **खाजेपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(राजेश कुमार चौधरी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**खाजेपुर**

(महेन्द्र नाथ)
सचिव
ग्राम पंचायत–**खाजेपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

अवैध असलहों के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

संवाददाता–संतकबीरनगर। पुलिस ने अवैध असलहों के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दुधारा थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली गुप्त सूचना पर टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक .32 बोर की पिस्टल, एक 9 एमएम की पिस्टल, दो .315 बोर के देसी तमंचे और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान आजमगढ़ निवासी कमलेश यादव के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में कमलेश ने बताया कि वह अवैध हथियारों की खरीद–फरोख्त में शामिल था और इन्हें नेपाल सीमा से लाया था।

पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर पहले भी कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

इस पूरी कार्रवाई में दुधारा थाना पुलिस और एसओजी टीम के अधिकारियों की अहम भूमिका रही।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–593/2025
इम्दादुल्लाह
बनाम
मो0 इजहार

1. मो0 इजहार पुत्र मो0 युनुस साकिन गुलौरी बुजुर्ग तप्पा मनवरपारा परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 04–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 04 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
धारा 116 उ0प्र0रा0सं– 2006
अदालत– श्रीमान अति0 अधिकारी प्रथम बस्ती जिला–बस्ती
शाहिद अली आदि
बनाम
मिन्नत अली आदि

1. मिन्नत अली पुत्र वलीजान 2. शाहजहॉ बेवा शेर अली 3. शहजाद अली 4. आजाद अली 5. शमसाद अली 6. दिलशाद अली पुत्रगण शेर अली निवासीगण ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव तहसील बस्ती सदर जिला बस्ती 7. कुमारी गुलाब्बशा नावालिग पुत्री शेर अली बवलायत व माता शाहजहॉ निवासी ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव तहसील बस्ती सदर जिला बस्ती 8. टीपू सुल्तान पुत्र हैदर अली 9. इरफाना खातून बेवा हैदर अली निवासी ग्राम गनेशपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव तहसील बस्ती सदर जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 17 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 01 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया। –द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत परसा कुतुब वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **परसा कुतुब** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा कुतुब** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा कुतुब** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **परसा कुतुब** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **परसा कुतुब** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(तबस्सुम खातून)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**परसा कुतुब**

(विजय कुमार चौधरी)
सचिव
ग्राम पंचायत–**परसा कुतुब**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत पटवरिया वि.खं. रामनगर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पटवरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पटवरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पटवरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पटवरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पटवरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(नीवर)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**पटवरिया**

(कौशलेन्द्र पाल)
सचिव
ग्राम पंचायत–**पटवरिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 09.04.2026

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

संवाददाता–गोरखपुर। चौरीचौरा क्षेत्र के गौनर निवासी विन्द्रावती का बेटा बलिराम गौड़ अपने मित्र दीपक विश्वकर्मा के साथ एक अप्रैल की सुबह करीब 8:30 बजे बाइक से डुमरी घर लौट रहे थे। वे महुअवां बुजुर्ग हनुमान मंदिर के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बलिराम और दीपक को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने पिकअप की फोटो मोबाइल में कैद कर ली।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान अष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–63/2011
रामचन्द्र
बनाम
रामफेर आदि

1/1 मालती उम्र लगभग 40 साल पुत्री रामफेर 1/2 रीता उम्र लगभग 37 साल पुत्री रामफेर निवासीगण ग्राम पसड़ा उर्फ शुकुलपुरा तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
3/1 विनोद कुमार उम्र लगभग 40 साल पुत्र वीरेन्द्र 3/2 पुष्पा देवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी वीरेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम पसड़ा उर्फ शुकुलपुरा तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 08–05–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 08 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 07 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–118/2016
लालजी आदि
बनाम
जग मोहन आदि

1. भागीरथी 2. मुसाफिर 3. रामचन्दर 4. राम निहोर पुत्रगण सीताराम निवासीगण ग्राम बारीघाट तप्पा बड़गोपगार परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 5. ओम प्रकाश चौधरी पुत्र मनीराम चौधरी साकिन जिगिना तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 25–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–551/2024
राजदेव यादव
बनाम
रामदयाल आदि

1. राम दयाल पुत्र छांगुर यादव साकिन मौजा सिक्टा तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

तारीख पेशी 12–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com